स0स0–3/पन–01–47/2010

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शैलेश कुमार,
सरकार के अपर सचिव ।

न्यायालीय मामला

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक

विषयः **डा0 प्रकृति गुप्ता, सेवानिवृत अधीक्षक, लेडी एलगीन जनाना अस्पताल, गया का लंबित 10% पेंशन/उपदान की स्वीकृति ।**

प्रसंगः **विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 157(3) दिनांक 03.03.2011 (छाया प्रति संलग्न)**

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि **डा0 प्रकृति गुप्ता, सेवानिवृत अधीक्षक, लेडी एलगीन जनाना अस्पताल, गया** के विरूद्ध गबन के मामले मे श्री रमेश चन्द्र सहाय, तत्कालीन लिपिक–सह–भडारपाल, लेडी एल्गीन जनाना अस्पताल, गया के द्वारा सिविल लाईन थाना, गया मे प्राथमिकी स0 354/08 दायर किया गया था । उक्त मामले मे अनुसंधान पदाधिकारी श्री चन्द्रकान्त झा, पु0स0अ0नि0, सिविल लाईन थाना गया के द्वारा अतिम प्रतिवेदन स0 470/11 दिनाक 30.11.2011 से असत्य प्रतिवेदित करते हुए उक्त अनुसधान को बन्द किया गया । तदोपरान्त माननीय मुख्य न्यायिक दडाधिकारी, गया के आदेश दिनाक 09.05.2016 के द्वारा उक्त अतिम प्रतिवेदन 470/11 दिनाक 30.11.2011 को स्वीकार किया गया । पुनः परिवादी के द्वारा विद्वान मुख्य न्यायिक दडाधिकारी, गया के न्यायालय मे डा0 श्रीमती प्रकृति गुप्ता के विरूद्ध परिवाद पत्र स0 755सी.2016 दाखिल किया गया । जिसमे उक्त परिवाद मे दिनाक 06.09.2019 को सुनवाई के कम मे न्यायिक दडाधिकारी प्रथम श्रेणी, गया के द्वारा वाद को खारिज कर दिया गया है ।

2. विदित हो कि **डा0 प्रकृति गुप्ता** के विरूद्ध गबन का आरोप एव निरीक्षण प्रतिवेदन स0 488/2008–09 लबित रहने के कारण उपरोक्त प्रासगिक पत्र से 90% औपबधिक पेशन की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। वर्तमान मे विभाग मे इनके विरूद्ध कोई विभागीय कार्यवाही संचालित नही है एवं अधीक्षक, प्रभावती अस्पताल, गया के कार्यालय पत्राक 1032 दिनाक 04.06.2012 से लबित निरीक्षण प्रतिवेदन स0 488/2008–09 का अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषित है ।

3. वर्णित स्थिति में **डा0 प्रकृति गुप्ता, सेवानिवृत अधीक्षक, लेडी एलगीन जनाना अस्पताल, गया** को शेष 10% पेशन/उपदान की स्वीकृति उनके सेवानिवृति की तिथि से प्रदान की जाती है । **डा0 प्रकृति गुप्ता** का **सेवा निवृति तिथि–31.07.2010 है ।**

विदित हो कि डा0(श्रीमती) गुप्ता के द्वारा लंबित 10% पेशन/उपदान की स्वीकृति हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना मे समादेश याचिका स0 .. ../2024 दायर किया गया है। जिसमे आप भी प्रतिवादी सं0 06 है ।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक यथोक्त ।

ह0/–
(शैलेश कुमार)

\10

ज्ञापांकः 59(3) /स्वा0, पटना, दिनांक 27/01/25

प्रतिलिपिः निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, मगध प्रमण्डल, गया/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, **गया/**अधीक्षक, **लेडी एलगीन जनाना अस्पताल, गया** को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः कोषागार पदाधिकारी, **पटना समाहरणालय पटना** को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः डा0 प्रकृति गुप्ता, सेवानिवृत अधीक्षक, लेडी एलगीन जनाना अस्पताल, गया, पत्राचार का पता–3एस0एफ0ए0 1/9, बहादुरपुर हाउसिग कॉलोनी, भूतनाथ रोड, कंकडबाग, पटना, पिनकोड–800026 को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2,7,8,9 एव 10 को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि विभागीय पी०एम०यू०लिड को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार. पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

24/1/25

सरकार के अपर सचिव